# न्यायालय, समाहत्तो–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–02 / 2016–2017

राज्य बनाम संजय कुमार एवं अन्य

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–<br>3. |
|---|---|---|
| 16.05.2017 | **आदेश**<br>बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, खगड़िया थाना कांड संख्या–687 / 16, दिनांक–04.12.2016 की प्राथमिकी पु.अ.नि., खगड़िया के प्रस्ताव तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–591, दिनांक–21.02.2017 से समर्पित अग्रसारित प्रस्ताव से उद्भूत है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में अंकित है कि जप्त वाहन मैक्सिमो भान गाड़ी नं0–BR9M-4126 तथा BR34P-2673 (टेम्पू), खगड़िया थाना परिसर में रखा हुआ है।<br>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त संदर्भित प्रस्ताव के साथ पु.अ.नि., खगड़िया का प्रश्नगत वाहनों के अधिहरण हेतु समर्पित प्रस्ताव, जप्ती सूची तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है।<br>संलग्न कागजातों के अवलोकन से विदित है कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत मैक्सिमो भान BR9M-4126 एवं टेम्पू BR34P-2673 विदेशी शराब के साथ दिनांक–04.12.2016 को पकड़ी गई थी। जप्ती सूची के अनुसार मैक्सिमो भान में बैठे संजय कुमार, पिता–जागो साह के बगल में सीट पर रखे बैग से Officer Choice whisky 180ml वाला 70 पाऊच बैच नं0–431, आजाद कुमार सहनी, पिता–घोलट सहनी के गोद में रखे बैग से Officer Choice whisky180ml वाला 150 पाऊच बैच नं0–346 तथा कृष्ण कुमार, पिता–गिरीश सिंह की गोद में रखे बैग से Officer Choice whisky180ml वाला 40 पाऊच बैच नं0–362 बरामद हुआ है।<br>BR34P-2673 (टेम्पू) पर बैठे विक्रम कुमार, पिता–महेश्वर सहनी के गोद मे रखे बैग से Royal Stag whisky 375ml वाला 37 बोतल बैच नं0–306 एवं मो0 महताब, पिता–मो0 नौशाद आलम के सीट के नीचे से एक कार्टून में रखा Royal Stag whisky 375ml वाला 24 बोतल बैच नं0–306 बरामद किया गया है।<br>प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सूनवाई की तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। दैनिक हिन्दुस्तान के दिनांक–07.04.2017 के संस्करण में भी प्रश्नगत टेम्पू BR34P-2673 के स्वामी मो0 नौशाद आलम को दिनांक–11.04.2017 को | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 1. | 02. | 3 |
| | उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।<br>प्रश्नगत मैक्सिमो भान BR9M-4126 के स्वामी संजीव कुमार ठाकुर, पिता–कृष्ण मुरारी ठाकुर, ग्राम–बलुआही वार्ड नं0–02, खगड़िया (वाहन स्वामी) को अलग से नोटिस भेजकर वाद की सुनवाई में भाग लेने हेतु सूचित किया गया, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।<br>सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जब्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्र का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा–58(2) के अन्तर्गत प्रश्नगत वाहन को अधिहरण योग्य बताया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि गाड़ी का उपयोग शराब के कारोबार हेतु किया गया है, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है। विपक्षी जान–बूझकर वाद की सुनवाई के प्रक्रम में शामिल नहीं हुए हैं।<br>विपक्षीगण एवं दोनों वाहनों के स्वामियों को सूचना संसूचन के बाद भी उनके द्वारा वाद की सुनवाई के प्रक्रम में भाग नहीं लिया गया है। मैक्सिमो के BR9M-4126 वाहन स्वामी खगड़िया शहर के ही हैं, लेकिन वे सुनवाई की किसी तिथि को शामिल नहीं हुए।<br>BR34P-2673 टेम्पू के स्वामी का भी हाल–मुकाम खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में है, परन्तु वे समाचार–पत्र में विज्ञापन प्रकाशन के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।<br>दोनों वाहन स्वामियों के उपस्थित नहीं होने से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं तथा न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं।<br>उपर्युक्त प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा इरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।<br>विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जान–बूझकर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।<br>उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि वर्णित दोनों वाहन मैक्सिमो भान गाड़ी | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–स 3. |
|---|---|---|

नं0–BR9M-4126 तथा BR34P-2673 (टेम्पू) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता हैं :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त दोनों वाहन मैक्सिमो भान गाड़ी नं0–BR9M-4126 तथा BR34P-2673 (टेम्पू) जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(7) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में जप्त दोनों वाहन मैक्सिमो भान गाड़ी नं0–BR9M-4126 तथा BR34P-2673 (टैम्पू) को मोटरयान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया।